

66/18

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बीजापुरी
 नौरा बनाम जगदीश
 किस्म मुकद्दमा वाद - 53 RJA नं. 66/18 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट लक्ष्मीपुरा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि मौजा करमदिया खेडा की कता सं. 13 की क्षराजी के 124 र. 0.4900 का विभाजन कराया जावे।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा करमदिया खेडा की कता सं. 124 र. 0.4900 का विभाजन निम्नापुस्तक किया जावे।</p> <p>① जगदीश डोग लालूराम श्रीजा पारसे ली 124/1 0.52 6.18 रत नदरकूट</p> <p>② केरा डोगपुरा कादी लालूराम श्रीजा शोदे 124/मी 0.17 2.75</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठारीन अधिकारी, लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर

बडीसादड़ी (राज.)

